

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया
 (पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
 कैम्प कोर्ट का स्थान - चौद जी की खेड़ी

--आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चौद जी की खेड़ी की मू.अ. सलाहद्वारा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिजौलिया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राज. अधिनियम 1958 की धारा 136 के अनुसार चौद जी की खेड़ी तहसील, बिजौलिया जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खाता संख्या 249, 06, 93, 251, 250, 358, 155 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>चौद जी की खेड़ी</u>	<u>249, 06, 93, 251, 250, 358, 155</u>	<u>पप्पुलाल पुत्र कजौड दर्ज है।</u>	<u>पप्पुलाल पुत्र कजौड के स्थान पर राजेश पुत्र कजौड किया जाता है।</u>



(सीमा बिवाड़ी)
 प्रशासकीय अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी, प्रशासन-2021
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया

दिनांक :- 16.11.2021

क्रमांक - 201/21

विवरण :-

1. तहसीलदार, बिजौलिया को भेजकर लक्ष है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री राजेश पुत्र कजौड, निवासी चौद जी की खेड़ी को सूचनार्थ।
3. भविष्य पत्रावली।

(सीमा बिवाड़ी)
 प्रशासकीय अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी, प्रशासन-2021
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया

virajai.ir@gmail.com; viraj9099@gmail.com